बिहार सरकार

जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, सारण, छपरा

सूचना

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु वर्ष 2025 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (उ0मा0) से इन्टर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक केवल छात्राओं (लड़कियाँ) बिहार राज्य मदसा शिक्षा बोर्ड, पटना से मौलवी (इन्टर) प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक केवल छात्राओं (लड़कियाँ) एवं फौकानिया (मैट्रिक) प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को अभिलेख जमा करने हेतु आवश्यक सूचना

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2025–26 के अन्तर्गत वर्ष 2025 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (उ0मा0) से **इन्टर प्रथम श्रेणी** से उत्तीर्ण केवल छात्रा **कुल–1344,** बिहार राज्य मदसा शिक्षा बोर्ड, पटना से मौलवी **(इन्टर) प्रथम श्रेणी** से उत्तीर्ण केवल छात्रा **कुल–292 एवं फौकानिया (मैट्रिक) प्रथम श्रेणी** से उत्तीर्ण छात्र/छात्रा दोनों **कुल–485** की सूची अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जिसमें से इन्टर शेष में बचे हुए **कुल–452,** मौलवी **(इन्टर) में** बचे हुए **कुल–172 एवं फौकानिया (मैट्रिक) में** बचे हुए **कुल–150 छात्र/**छात्राओं को इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, C.F.M.S. प्रणाली के तहत प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाना है।

अतः वर्ष 2025 में इन्टर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को इस योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु, वे इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर अपना अभिलेख यथा **अंक–पत्र, प्रवेश–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड** की छायाप्रति **मोबाईल नम्बर** के साथ अपने विद्यालय के माध्यम से अथवा स्वयं अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। ताकि योजना का लाभ दिया जा सके।

नोट :– अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, सारण (छपरा) अथवा दूरभाष संख्या :– 06152–295333 पर सम्पर्क कर सकते है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
सारण (छपरा)

उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

PR. No.020779 (MWD) 2025-26

गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर करायें।